

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2021/444


दिनांक:- 27-01-2021

परिपत्र

इस कार्यालय के पत्रांक एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2020/173 दिनांक 03.06.2020 द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.1(1)FD/Rules/2012 दिनांक 12.05.2020 का पृष्ठांकन कर कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्य के कोरोना पीड़ित होने पर Quarantine Leave के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे। कतिपय इकाईयों द्वारा कर्मचारी के कोरोना पीड़ित होने पर Quarantine Leave स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन चाहा जा रहा है।

सन्देह निवारण के लिए Quarantine Leave स्वीकृत करने के सम्बन्ध में समस्त इकाई प्रभारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. कर्मचारी के स्वयं के कोरोना पीड़ित होने पर Quarantine Leave देय नहीं है। निर्धारित प्रपत्र में अवकाश आवेदन प्राप्त होने पर उपार्जित अवकाश/रूपान्तरित अवकाश (सक्षम चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) स्वीकृत किया जा सकेगा।
2. RSR Volume-II Appendix-I अनुसार कर्मचारी के परिवार में या घर में किसी के कोरोना पीड़ित होने पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा कर्मचारी के Home Quarantine किये जाने पर Home Quarantine अवधि का Quarantine Leave सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर (अधिकतम 21 दिवस) स्वीकृत किया जा सकता है।



25/1/2021
(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2021/444

दिनांक:- 27-01-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
9. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


(राज कुमार)
महा प्रबन्धक (वित्त)